

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *300
12.07.2019 को उत्तर के लिए

प्रदूषण स्तर में वृद्धि

*300. श्री रमेश चन्द्र कौशिक:
श्री हनुमान बैनिवाल:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में बढ़ता हुआ प्रदूषण स्तर पर्यावरण के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है;
- (ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने देश में पर्यावरण प्रदूषण से हुई क्षति का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ.) सरकार द्वारा देश में बढ़ते हुए प्रदूषण स्तर से निपटने के लिए कौन सी कार्य योजना तैयार की गई है और अभियान बनाए/चलाए जा रहे हैं?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

- (क) से (ङ.) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

“प्रदूषण स्तर में वृद्धि” के संबंध में श्री रमेश चन्द्र कौशिक एवं श्री हनुमान बैनिवाल द्वारा दिनांक 12.07.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *300 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) वर्ष 2016-2018 के दौरान महानगरों/दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरी समूहों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता आंकड़ा अनुबंध-I में दिया गया है। आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2016-18 के दौरान सभी 50 शहरों में SO₂ के स्तर राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) के अंदर थे। NO₂ के संबंध में 17 शहरों में बढ़ता हुआ रूझान दिखाई पड़ा, 16 शहरों में घटता हुआ सांद्रण दिखाई पड़ा, 16 शहरों में घटता-बढ़ता रूझान दिखाई दिया और 1 शहर में स्थिर सांद्रण का पता चला। PM₁₀ के संबंध में 14 शहरों में बढ़ता हुआ रूझान दिखाई दिया है, 14 शहरों में घटता हुआ सांद्रण दिखाई पड़ा है, 22 शहरों में घटता-बढ़ता हुआ रूझान दिखाई पड़ा है। PM_{2.5} के संबंध में 17 शहरों के लिए रूझान उपलब्ध हैं और 17 शहरों में से, 08 शहरों में बढ़ता हुआ रूझान 04 शहरों में घटता हुआ सांद्रण और 05 शहरों में घटता-बढ़ता हुआ रूझान दिखाई दिया है।

वर्ष 2016-18 के लिए प्राप्त जल गुणवत्ता संबंधी आंकड़ों के आधार पर, 323 नदियों में 351 प्रदूषित नदी प्रवाह-क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है। प्रदूषित नदी प्रवाह-क्षेत्रों की राज्य-वार सूची अनुबंध-II में संलग्न है।

(ग) से (ड.) केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में वायु प्रदूषण की रोकथाम, उसके नियंत्रण एवं उपशमन के लिए अनेक पहलें की गई हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

योजनाएं और निदेश

- दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए अभिज्ञात कार्य-कलापों हेतु समय-सीमाएं और कार्यान्वयन एजेंसी को अभिज्ञात करते हुए व्यापक कार्य योजना (सीएपी) को अधिसूचित किया गया है।
- केन्द्रीय क्षेत्र की “प्रदूषण नियंत्रण” योजना के तहत देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक समयबद्ध राष्ट्र-स्तरीय कार्यनीति के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरुआत की गई है।
- एनसीएपी के तहत शहर विशेष की कार्य-योजना तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने हेतु 102 ऐसे शहरों को अभिज्ञात किया गया है जहां वायु की गुणवत्ता परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है।
- दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के विभिन्न स्तरों के लिए ग्रेडिड रिस्पांस कार्रवाई योजना को अधिसूचित किया गया है।
- वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1986 की धारा 18 (1) (ख) के तहत दिल्ली और एनसीआर सहित प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण के उपशमन हेतु 42/31 उपायों के कार्यान्वयन के लिए व्यापक तौर पर निदेश जारी किए गए हैं जिनमें वाहनजनित उत्सर्जनों, सड़क के धूल-कणों और बाहरी उत्सर्जनों के री-सस्पेंशन, बायोमास/नगरीय ठोस अपशिष्ट को जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण और विध्वंस कार्य-कलापों से संबंधित नियंत्रण और उपशमन के उपाय तथा अन्य सामान्य उपाय शामिल हैं।

निगरानी

- परिवेशी वायु गुणवत्त के आकलन के लिए निगरानी नेटवर्क की स्थापना।
- राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों की अधिसूचना
- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से अक्टूबर, 2018 में दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता शीघ्र चेतावनी प्रणाली का कार्यान्वयन।

परिवहन

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1 अप्रैल, 2018 से और देश के अन्य भागों में 1 अप्रैल, 2020 से बीएस-IV से सीधे बीएस-VI ईंधन मानक अपनाना।
- स्वच्छतर/वैकल्पिक ईंधन जैसे गैसीय ईंधन (सीएनजी, एलपीजी आदि), इथेनॉल मिश्रण की शुरुआत करना।
- सड़कों पर वाहनों की अधिकता के कारण भीड़-भाड़ को कम करने हेतु सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा और सड़कों में सुधार तथा और ज्यादा पुलों का निर्माण।
- दिल्ली से अ-लक्षित वाहनों के मार्ग को डाइवर्ट करने हेतु पूर्वी पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे और पश्चिमी पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे का प्रचालन।

- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाना।

उद्योग

- 15 अक्टूबर, 2018 से बदरपुर ताप विद्युत परियोजना को बंद कर दिया गया है।
- दिल्ली और एनसीआर में सभी ईट-भट्टों को मिश्रित प्रौद्योगिकी अपनाने का निदेश दिया गया है।
- दिल्ली और एनसीआर में रेड श्रेणी के सभी उद्योगों में ऑन-लाइन सतत (24x7) निगरानी उपकरणों की संस्थापना।
- औद्योगिक क्षेत्रों के लिए समय-समय पर उत्सर्जन मानकों का संशोधन।

बायोमास और ठोस अपशिष्ट

- वर्ष 2018-19 और 2019-20 की अवधि के लिए 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशिष्ट के खेत में ही प्रबंधन हेतु कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा' संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना शुरू की गई है।
- बायोमास के जलाने पर प्रतिबंध लगाना।
- दिल्ली में इस समय 5100 टन प्रतिदिन (टीपीडी) की कुल क्षमता वाले 3 अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन करने वाले (डब्ल्यू-टी-ई) संयंत्र प्रचालित हैं।
- वर्ष 2016 में ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट तथा खतरनाक अपशिष्टों को शामिल करते हुए 6 अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचित किए गए हैं।

धूल-कण

- निर्माण और विध्वंस कार्यकलापों के लिए धूल उपशमन उपायों के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।
- दिल्ली में मशीनीकृत सड़क सफाई मशीनों की संख्या में काफी वृद्धि की गई है और वर्तमान में सड़कों की सफाई के लिए 60 मशीनों का उपयोग किया जा रहा है।

जन-संपर्क अभियान

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार ने 10-23 फरवरी, 2018 के दौरान दिल्ली के लिए स्वच्छ वायु अभियान की शुरुआत की थी और दिवाली से पहले और उसके बाद 1 नवंबर, 2018 से 10 नवंबर, 2018 के दौरान वायु प्रदूषण फैलाने वाले कार्यकलापों को नियंत्रित करने हेतु "स्वच्छ वायु अभियान" नामक एक विशेष अभियान आरंभ किया था।
- मंत्रालय द्वारा हरित अच्छे कार्यों, जिनमें साईकिल की सवारी करने को बढ़ावा देने, जल और बिजली बचाने, पेड़ लगाने, वाहनों का उचित अनुरक्षण करने, सड़कों पर लेन अनुशासन का पालन करने तथा कार पुलिंग द्वारा सड़कों पर भीड़-भाड़ को कम करने आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसके माध्यम से पर्यावरणीय संरक्षण हेतु लोगों की भागीदारी और नागरिकों में जागरूकता सृजन अभियानों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्याओं से संबंधित जन-शिकायतों के समाधान हेतु 'समीर ऐप', ई-मेल (aircomplaints.cpcb@gov.in) और 'सोशल मीडिया नेटवर्क' (फेसबुक और ट्विटर) इत्यादि के माध्यम से एक तंत्र विकसित किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, दोषी औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कानून के प्रवर्तन के लिए विभिन्न कार्रवाइयां की गई हैं:

- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिनांक 29.10.2018 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत उत्तर प्रदेश और हरियाणा के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) तथा दिल्ली की प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) को उन एजेंसियों, जो सुधारात्मक कार्रवाई करने में असफल रहे हैं, के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन शुरू करने का निदेश जारी किया है।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत, उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) तथा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को क्रमशः दिनांक 12.12.2018 और 10.12.2018 को निर्माण एवं विध्वंस (सी एवं डी) अपशिष्ट के प्रभावकारी प्रबंधन हेतु कारणावली नोटिस जारी किया गया। तदुपरांत, दिनांक 24.01.2019 को एनएमसीडी पर क्षतिपूर्ति के रूप में 1.00 करोड़ ₹. का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया।
- सीपीसीबी द्वारा दिनांक 12.11.2018 को उत्तर रेलवे तथा दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लि. (डीएसआईआईडीसी) को और दिनांक 03.12.2018 को सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को उनके विरुद्ध अभियोजन शुरू करने के संबंध में कारणवता नोटिस जारी किए गए हैं।

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के धारा 5 के तहत, तेल कंपनियों-आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल पर दिनांक 12.12.2018 को चरण-I और चरण-II वाष्प रिकवरी प्रणाली की संस्थापना के संबंध में जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के कारण क्षतिपूर्ति के तौर पर 1 करोड़ रू. का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया है।
- वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31क के तहत, 16 जनवरी, 2019 को जारी निर्देशों द्वारा शहर के नगरीय निकायों (नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और छावनी बोर्ड) पर कचरा तथा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को खुले स्थान पर जमा करने/जलाने के कारण क्षतिपूर्ति के तौर पर 1 करोड़ रू. का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया है।

“प्रदूषण स्तर में वृद्धि” के संबंध में श्री रमेश चन्द्र कौशिक एवं श्री हनुमान बैनिवाल द्वारा दिनांक 12.07.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *300 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-1

एनएएमपी (मैनुअल) के तहत 2016, 2017 और 2018 के लिए दस लाख से अधिक आबादी वाले/शहरी समूहों वाले शहरों की वायु गुणवत्ता की स्थिति ($\mu\text{g}/\text{m}^3$ में वार्षिक औसत)

क्र. सं.	राज्य	क्र. सं.	शहर	2016				2017				2018			
				SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}
1.	आंध्र प्रदेश	1.	विजयवाड़ा	6	44	102	-	6	29	99	-	5	21	77	29
		2.	विशाखापट्टनम	8	18	77	-	9	17	73	-	10	20	77	49
2.	बिहार	3.	पटना	4	32	212	-	5	39	156	-	5	51	207	
3.	चंडीगढ़	4.	चंडीगढ़	2	21	105	12 3	2	16	109	64	2	17	102	50
4.	छत्तीसगढ़	5.	दुर्ग-भिलाईनगर	9	23	108	-	8	21	97	-	8	19	84	-
		6.	रायपुर	12	31	148		10	27	103		14	20	65	
5.	दिल्ली	7.	दिल्ली	7	66	278	11 8	7	68	241	106	6	73	223	121
6.	गुजरात	8.	अहमदाबाद	14	27	108	34	14	29	120	38	16	29	236	73
		9.	राजकोट	13	21	92	32	16	22	106	37	19	23	203	64
		10.	सूरत	13	22	92	31	16	26	106	36	22	29	176	57
		11.	वडोदरा	14	23	92	30	16	23	108	36	20	25	188	60
7.	हरियाणा	12.	फरीदाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	जम्मू और कश्मीर	13.	श्रीनगर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	-
9.	झारखंड	14.	धनबाद	15	37	226	-	15	37	238	-	14	37	264	-
		15.	जमशेदपुर	36	45	136	-	36	45	131	-	37	46	128	-
		16.	रांची	20	37	196	-	19	37	142	-	18	36	122	-
10.	कर्नाटक	17.	बैंगलोर	3	31	103	51	2	31	92	46	2	30	90	47

11.	केरल	18.	कोच्चि	2	20	48	-	2	19	51	-	3	16	57	-
		19.	कोल्लम	4	8	46	-	3	6	43	-	3	5	47	-
		20.	कोझिकोड	2	18	51	-	2	18	47	-	2	10	54	6
		21.	मलप्पुरम	2	17	37	-	2	21	32	-	2	26	31	-
		22.	तिरुवनंतपुरम	10	25	53	-	10	26	49	-	9	24	49	-
		23.	तिशूर	2	5	54	-	2	5	56	-	3	9	41	-
12.	मध्य प्रदेश	24.	भोपाल	3	15	89	27	4	15	93	41	7	14	135	59
		25.	ग्वालियर	10	14	96	52	10	17	110	47	13	21	134	62
		26.	इंदौर	11	20	95	54	11	21	80	43	10	19	88	41
		27.	जबलपुर	10	23	71	32	10	21	74	23	7	17	119	43
13.	महाराष्ट्र	28.	औरंगाबाद	14	39	92	-	10	33	83	-	13	35	70	-
		29.	मुंबई	6	30	119	-	3	18	151	40	2	21	166	46
		30.	नागपुर	16	26	118	-	9	27	102	-	10	28	103	44
		31.	नासिक	13	27	85	-	12	22	81	-	12	21	85	-
		32.	पुणे	28	78	107	-	21	65	102	-	37	75	106	-
		33.	थाणे	18	60	122	-	18	47	125	-	17	44	108	-
		34.	वसई - विरार	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
14.	पंजाब	35.	अमृतसर	12	29	194	-	11	27	168	-	13	34	177	-
		36.	लुधियाना	11	25	139	-	10	28	162	-	9	32	162	-
15.	राजस्थान	37.	जयपुर	8	33	199	-	8	30	177	-	8	32	165	-
		38.	जोधपुर	6	23	168	-	6	21	180	-	7	24	223	-

		39.	कोटा	7	30	109	-	8	28	130	-	7	28	152	-
16.	तमिलनाडु	40.	चेन्नई	10	18	65	25	9	17	62	32	9	16	78	34
		41.	कोयंबटूर	6	24	59	35	5	26	49	34	6	23	54	32
		42.	मदुरै	15	24	76	38	14	23	67	30	12	20	84	34
		43.	त्रिची	12	20	95	27	12	20	86		17	23	110	53
17.	तेलंगाना	44.	हैदराबाद	5	27	101	49	6	28	108	54	5	30	105	55
18.	उत्तर प्रदेश	45.	आगरा	5	22	198	-	4	19	185	124	4	22	209	106
		46.	इलाहाबाद	4	37	196	-	4	40	140	-	4	45	231	-
		47.	गाज़ियाबाद	15	28	235	-	22	34	280	-	21	43	245	103
		48.	कानपुर	7	39	217	-	7	45	224	-	7	47	218	-
		49.	लखनऊ	8	27	214	-	8	26	246	102	7	30	217	108
		50.	मेरठ	7	55	157	-	7	52	153	-	7	58	177	-
		51.	वाराणसी	11	32	256	-	10	38	244	-	9	34	189	-
19.	पश्चिम बंगाल	52.	आसनसोल	13	42	211	88	12	37	163	67	13	35	146	58
		53.	कोलकाता	4	49	113	70	6	41	120	71	6	44	148	86

ध्यान दे: NA- शहर में कोई निगरानी स्टेशन नहीं है, '-' डेटा उपलब्ध नहीं है, आवासीय, औद्योगिक, ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) $SO_2 = 50 \mu g / m^3$, $NO_2 = 40 \mu g / m^3$, $PM_{10} = 60 \mu g / m^3$ और $PM_{2.5} = 40 \mu g / m^3$ और $SO_2 = 20 \mu g / m^3$, $NO_2 = 30 \mu g / m^3$, $PM_{10} = 60 \mu g / m^3$ और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के लिए $PM_{2.5} = 40 \mu g / m^3$ / वर्ष 2018 के लिए तालिका में प्रस्तुत डेटा आज की तिथि के अनुसार उपलब्ध है।

अनुबंध- II

प्रदूषित नदी प्रवाह क्षेत्रों की राज्यवार और प्राथमिकता वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिकता	कुल योग
---------	-------------------------	------------	---------

		I	II	III	IV	V	
1	आंध्र प्रदेश	-	-	-	2	3	5
2	असम	3	1	4	3	33	44
3	बिहार	-	-	1	-	5	6
4	छत्तीसगढ़	-	-	-	4	1	5
5	दमन, दीव और दादरा नागर हवेली	1	-	-	-	-	1
6	दिल्ली	1	-	-	-	-	1
7	गोवा	-	-	1	2	8	11
8	गुजरात	5	1	2	6	6	20
9	हरियाणा	2	-	-	-	-	2
10	हिमाचल प्रदेश	1	1	1	-	4	7
11	जम्मू और कश्मीर	-	1	2	2	4	9
12	झारखंड	-	-	-	3	4	7
13	कर्नाटक	-	-	4	7	6	17
14	केरल	1	-	-	5	15	21
15	मध्य प्रदेश	3	1	1	3	14	22
16	महाराष्ट्र	9	6	14	10	14	53
17	मणिपुर	-	1	-	-	8	9
18	मेघालय	2	-	-	3	2	7
19	मिजोरम	-	-	1	3	5	9
20	नागालैंड	1	-	1	2	2	6
21	ओडिशा	1	-	3	2	13	19
22	पुडुचेरी	-	-	-	1	1	2
23	पंजाब	2	-	-	1	1	4
24	राजस्थान	-	-	1	-	1	2
25	सिक्किम	-	-	-	-	4	4
26	तमिलनाडु	4	-	-	1	1	6
27	तेलंगाना	1	2	2	2	1	8
28	त्रिपुरा	-	-	-	-	6	6
29	उत्तर प्रदेश	4	-	1	2	5	12
30	उत्तराखंड	3	1	1	4	-	9
31	पश्चिम बंगाल	1	1	3	4	8	17
कुल योग		45	16	43	72	175	351
